विस्तृत योजना प्रतिवेदन

हमारी गौमाता हमारा दायित्व

उददेश्य : - गोप्रेमियों को गोमाता के प्रति झुकाव एवं प्रेम को बढावा देकर गोसेवा के प्रति उत्साह वर्द्धन करना

लाभुक :- निबंधित गौशालाएं एवं गोप्रेमी

इकाई लागत :- 10 लाख प्रति वर्ष योजना प्रबंधन इकाई।

लक्ष्य :- 23 गोशालाओं की लगभग दस हजार गायों को गोद लेने हेतु गोप्रेमियों से अंशदान प्राप्त करना।

चयनित जिला :- झारखण्ड राज्य के सभी निबंधित गोशालाओं से संबधित जिलें।

उपलब्धि :- 36,00,00,000 (लगभग 36 करोड़ की दान राशि प्राप्त कर गोशाला पर दैनिक व्यय संबधी सरकारी अधिभार की राशि से गोशाला सुदृढीकरण संबधी अन्यान्य योजना को लिए जाने संबधी कार्य संपादित करना।

Website enabled self service plateform to implement and monitoring of scheme

वेबसाइट के माध्यम से निम्न जानकारी गोप्रेमियों को गोद लेने हेतु उपलब्ध होगी।

1. डाटा बैंक झारखण्ड गो सेवा आयोग से निबंधित सभी गौशालाओं के गोपशुओं के संबंध में विस्तृत सूचना यथा, फोटो, नस्ल, विशिष्टता इत्यादि ।

2. गोप्रेमियों के द्वारा वेबसाइट के माध्यम से गोद लेने योग्य गोपशुओं की विवरणी उपलब्ध होगी।

3. गोप्रेमियों के द्वारा विकल्प के माध्यम से चुने गए गोपशु के लिए निर्धारित पूर्वनिर्धारित अवधि के लिए गोपशु के लिए निर्धारित गोद लेने हेतु तय की गई राशि का विकल्प चुनने की आजादी होगी।

4. विकल्प चुनते ही गोप्रेमियों को पूर्वनिर्धारित पेमेंट गेटवे के माध्यम से पेमेंट करना होगा जिसकी सूचना तत्क्षण गोशाला को एवं झारखण्ड गो सेवा आयोग को प्राप्त हो जाएगा। साथ ही प्राप्ति रसीद के साथ चुनी गई गोमाता के प्रतीक चिन्ह प्रिंटेबल फार्मेट में गोप्रेमी को उपलब्ध हो जाएगा।

5. गोमाता को गोद देने के विज्ञापन के साथ अवधि के अनुसार निर्धारित राशि (न्यूनतम राशि झारखण्ड गो सेवा आयोग द्वारा निर्धारित) प्रतीक चिन्ह एवं अन्यान्य आवश्यक सूचना गोशाला के माध्यम से दान के एवज में उपलब्ध कराए जाने हेतु सामग्री/विशिष्ट दर्शन संबंधी सूचना एक पूर्व निर्धारित फार्मेट में सभी निबंधित गोशाला के माध्यम से वेबसाइट संचालन संस्था को उपलब्ध कराया जाएगा।

6. पार्टनर संस्था :-

6.1 गोशाला

6.2 - झारखण्ड गोसेवा आयोग

6.3 - वेबसाइट संचालन ऐजेंसी

6.4 - पेमेंट गेटवे एजेंसी

6.5 गोप्रेमी /दानदाता / कारपोरेट समूह

7. विशिष्ट विंदु :-

7.1 - गोप्रेमियों की सतत पहचान एवं उन्हें गोशालाओं के माध्यम से जोड़े जाने हेतु स्वंयसेवी समूह की पहचान, गैर सरकारी संगठन की सेवा प्राप्त करने संबंधी प्रयास, योजना के संबंध में स्कूल-कालेज में निबंध /भाषण / पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, शापिंग माल, रेस्तरा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर आउटलेट खोलना।

7.2 - गोद लिए जाने हेतु गोमाता का वर्गीकरण -

क - साधारण श्रेणी एवं तदनुसार साधारण दर पर निर्धारित दान राशि

ख - विशिष्ट श्रेणी एवं तदनुसार दो गुणा दर पर निर्धारित दान राशि

ग - अतिविशिष्ट श्रेणी एवं तदनुसार तीन गुणा दर पर निर्धारित दान राशि

एक गोपशु को गोद लेने हेतु झारखण्ड गो सेवा आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि

समूह	एक माह	तीन माह	छः माह	एक वर्ष	तीन वर्ष
क	3000	9000	18000	36000	100000
ख	6000	18000	36000	72000	200000
ग	9000	27000	54000	100000	300000

7.3 अनुश्रवण :- गोद लिए गए पशुओं की वास्तविक संख्या उनसे प्राप्त राशि की गणना हेतु वेबसाइट के माध्यम से रीयल टाइम बेस्ड सिस्टम के तहत प्रतिवेदन डाउनलोड किए जा सकेगें।

गोशाला के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर गोद लिए गए गोपशुओं की वास्तविक स्थिति की सूचना समय-समय पर वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।